न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रेक) डीग

प्रकरण संख्याः– 111/2017, (जी.सी.एम.एस. नम्बर 2017/00015), पीठासीन अधिकारीः– श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

1. शिवराम पुत्र भूले –– मृतक
   - 1/1. श्रीराम
   - 1/2. यादराम — पुत्रगण शिवराम
   - 1/3. मुकेश कुमार
   - 1/4. गोपाल सिंह
   - 1/5. लोकेश कुमार — पुत्रगण बलराम पुत्र शिवराम
   - 1/6. राजवती पत्नी बलराम पुत्र शिवराम
   - 1/7. गिर्राजी पत्नी शिवराम– (मृतक)
   - 1/8. रामकली पुत्री शिवराम
   - 1/9. हेमवती पुत्री शिवराम

   जातियान जाट नि0 बेढम तहसील डीग
2. किशन सिंह — पुत्रगण भूले
3. रामेश्वर
4. वीरेन्द्र — पुत्रगण धर्म सिंह
5. धर्मेन्द्र

–वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग

–प्रति0

दावा बावत उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.एक्ट,

निर्णय दिनांकः 13.01.2025

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बर 1151/0.17,वाके ग्राम बेढम तहसील डीग में स्थित है। गत आराजी खसरा नम्बर 893/1 रकबा 4 विस्वा तथा 893/2 रकबा 1 वीघा 9 विस्वा वादीगण के पिता व बाबा भूले पुत्र मूली की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी जिसमें से गत खसरा नम्बर 893/1 रकबा 4 विस्वा वादीगण के पिता व बाबा भूले को

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

राज्य सरकार द्वारा पुराने कब्जे के आधार पर राजस्व अभियान कैम्प जनूथर में दिनांक 23.11.1972 को विनिमन किया गया था जिसके बाद से लगातार वादीगण के पिता व बाबा भूले उक्त आराजी पर खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज चले आ रहे थे। उक्त भूले की मृत्यु हो चुकी और उसके बाद से वादीगण उपरोक्त आराजी पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। हाल बन्दोवस्त में गत खसरा नम्बर 893/1 रकबा 4 विस्वा तथा गत खसरा नम्बर 893/2 रकबा 1 वीघा 9 विस्वा से नवीन खसरा नम्बर 1151/0.17 तथा 1152/0.09 कायम किये गये है जो गत रकबा के अनुसार बरावर नवीन पैमाईश में दर्ज आये है। विवादित खसरा नम्बर 1151/0.17 में वादीगण को गलत तरीके पर राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज किया जा रहा है जिसमें वादीगण की विनियमित गत खसरा नम्बर 893/1 रकबा 4 विस्वा तथा वादीगण की खातेदारी के गत खसरा नम्बर 893/2 रकबा 1 वीघा 9 विस्वा की आराजी भी सम्मिलित की गई है। मुताविक कानून वादीगण ने विवादित आराजी पर खातेदार अधिकार प्राप्त कर लिये है। अतः निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 1151/0.17 वाके ग्राम बेढम तहसील डीग के वादीगण मुताविक हिस्सा दर्ज जमाबन्दी अनुसार खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकार्ड में जिस प्रकार वादीगण आराजी का गैर खातेदार दर्ज किया हुआ है वह गलत है पर वादीगण को वर्णित आराजी पर गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

दावा वादिया दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रति0/जबाव सरकार दिनांक 25.07.2019 को पेश हुआ। जिसमें वर्णित है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1151/0.17 का गत खसरा नम्बर 893/1 रकबा 4 विस्वा से मिलान क्षेत्रफल से बनना दर्शाया गया है। गत जमाबन्दी सम्बत 2030 से 2033 में गत खसरा नम्बर 893/1 रकबा 4विस्वा गैर खातेदार है।

दावा व जबाव दावा की प्लीडिंग के आधार पर दिनांक 16.12.2021 को निम्नांनुसार तनकीयात कायम की गईः—

1. आया वादीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 1151/0.17 हैक्टे0 वाके ग्राम बेढम तहसील डीग पर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है?
2. दादरसी?

साक्ष्य वादीगण में वादी संख्या 03,रामेश्वर पुत्र धर्म सिंह के बयान पंजीबद्व कराये जाकर आगे साक्ष्य वादीगण नहीं कराये जाने का निवेदन किया गया। वकील वादीगण ने प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा.दी. पेश कर निवेदन किया गया कि वादिनी संख्या 1/7 गिर्राजी पत्नी शिवराम की दिनांक 21.08.2021 को मृत्यु हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान पूर्व से ही पक्षकार मुकदमा है,

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थना आदेश 22 नियम 3 जा.दी. को स्वीकार किया जाकर वादिनी संख्या 1/7 के आगे मृतक शब्द अंकित किये जाने के आदेश दिये गये।

दिनांक 07.11.2024 को तहसीलदार डीग द्वारा रिकार्ड एवं मौके कब्जे के सम्बन्ध में प्रेषित रिपोर्ट अनुसार वर्तमान रिकार्ड जमाबन्दी में खसरा नम्बर 1151/0.17 व 1152/0.09 गत खसरा नम्बर 893/1 व 892/2 से बनाये गये है। वर्तमान जमाबन्दी में खसरा नम्बर 1151 में किशन सिंह पुत्र फूले 1/3 गिर्राजी पत्नी शिवराम(मृतक) 1/18, गोपाल पुत्र बल्ला 5/288 धर्मेन्द्र पुत्र धर्म सिंह 1/9, मुकेश पुत्र बल्ला 5/288 यादराम पुत्र शिवराम 5/72,रामेश्वर पुत्र धर्म सिंह 1/9,लोकेश पुत्र बल्ला 5/286, वीरेन्द्र पुत्र धर्म सिंह हि0 1/9,हेमवती पुत्री शिवराम हि0 5/72 जातियान जाट नि0 बेढम गैर खातेदारान दर्ज रिकार्ड है। जबकि खसरा नम्बर 1152/0.09 में उक्त खातेदारान ही संलग्न जमाबन्दी के अनुसार दर्ज रिकार्ड है। मौके पर उक्त दोनों खसरा नम्बरान पर सरसों की फसल बोई गई है। राजस्व रिकार्ड एवं मौके के अनुसार कोई विवाद नहीं है।

दिनांक 24.12.2024 को वकील वादी ने मौखिक एवं पैरोकार सरकार ने लिखित बहस पेश की गई। वकील वादी ने बहस में कथन किया कि खसरा नम्बर 1151 रकबा 0.17,खसरा नम्बर 1152 रकबा 0.09 है। खसरा नम्बर 1151 रकबा 0.17 को साविक खसरा नम्बर 893/1 रकबा 4 विस्वा, 893/2 रकबा 1वीघा 9 विस्वा का है। खसरा नम्बर 893/2 मेरी खुद की पुरानी मिल्कियत की जमीन है जो 1वीघा 9 विस्वा है। खसरा नम्बर 893/1 मुझे 4 विस्वा आवंटित हुआ है। जिसका मैने नामा0 संख्या 483 पेश किया है। खसरा नम्बर 893/1 से हाल खसरा नम्बर 1151 बना है। जिसमें मुझे गैर खातेदार दर्ज कर दिया है। खसरा नम्बर 893/2 से हाल खसरा नम्बर 1152 बना है। जिसमें मैं गैर खातेदार हूँ। मुझे गैर खातेदार गलत दर्ज किया गया है। मेरी जमीन से साविक खसरा नम्बर के अनुसार ही बनी है। लेकिन मुझे 4 विस्वा रकबे की आपति के आधार पर पूरे खसरा नम्बर में गैर खातेदार दर्ज कर दिया है। मैने पूरा रिकार्ड पेश किया है। मुझे खातेदार दर्ज किया जावे।

पैरोकार सरकार ने लिखित बहस में कथन किया कि वादी द्वारा आ.ख.नम्बर 1151/0.17 वाके ग्राम बेढम तहसील डीग में गैर खातेदार को कलमजन कर खातेदार काश्तकार घोषित कराने के लिए वाद दायर किया है। उक्त खसरा नम्बर 1151/0.17 का मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साविक खसरा नम्बर 893/1 रकबा 4 विस्वा से बनना दर्शाया गया है। साविक रकबा 4 विस्वा का रकबा नये माप के अनुसार 0.03 है। उक्त खसरा का रकबा 0.14 वेशी आया है। इस प्रकार जमाबन्दी सम्बत 2030 लगायत 2033 में भी साविक खसरा नम्बर 893/1 रकबा 4 विस्वा गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त खसरा नम्बर नियमन नामा0 संख्या 483 से वादी के पूर्वज बाबा को प्राप्त हुई थी। वर्तमान रिकार्ड में रकबा गत के मुकाबले हाल रकबा 0.14 हैक्टे0 वेशी आया है। उनवानी प्रकरण निरस्त फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

हमने वादी के वादपत्र, पैरोकार सरकार के जबाव दावे,गवाह पीडब्ल्यू–1,रामेश्वर पुत्र धर्मसिंह के बयान,तहसीलदार डीग की रिकार्ड एवं मौके के सम्बन्ध दिनांक 07.11.2024 की रिपोर्ट, प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्बत 2072–75,खसरा नम्बर 1152,खसरा नम्बर 1151 प्रदर्श–2 हाल नक्शा किश्तवार खसरा नम्बर 1151, 1152 जोकि दोनों एक दूसरे से सटे हुए है। प्रदर्श–3 नकल नामा0 संख्या 483 दिनांक 01.12.1972 जिसमें नियमन के आधार पर साविक खसरा नम्बर 893 रकबा 4 विस्वा पर वादीगण के पूर्वज भूले को गैर खातेदार दर्ज किया गया है। प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्बत 2030 से 2033 जिसमें खसरा नम्बर 893/1 रकबा 4 विस्वा का गैर खातेदार,खसरा नम्बर 893/2 रकबा 1वीघा 9 विस्वा का खातेदार भूले पुत्र मूली दर्ज है। प्रदर्श–5 भू–प्रबंध मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 जिसमें हाल खसरा नम्बर 1151 रकबा 0.17विस्वा को साविक खसरा नम्बर 893/1 रकबा 4 विस्वा,खसरा नम्बर 1152 रकबा 0.09 हैक्टे0 को साविक खसरा नम्बर 892/2 रकबा 1वीघा 9 विस्वा से बनना प्रदर्शित है राजस्व रिकार्ड का अवलोकन एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। तनकीयात निम्नांनुसार निर्णीत की गईः–

तनकी संख्याः–1, आया वादीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 1151/0.17 हैक्टेयर वाके ग्राम बेढम तहसील डीग पर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है?

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर है। प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्बत 2072–2075 वादीगण खसरा नम्बर 1152 रकबा 0.09 हैक्टे0 पर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 1151 रकबा 0.17 हैक्टे0 पर वादीगण गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वादीगण का दावा खसरा नम्बर 1151 रकबा 0.17 पर गैर खातेदार से खातेदार घोषित करवाने के लिए है। प्रदर्श–2 हाल नक्शा के अनुसार दोनों खसरा नम्बर 1151 व 1152 सटे हुए है। भू–प्रबंध मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 के अनुसार खसरा नम्बर 892/2 रकबा 1 वीघा 9 विस्वा से बने है। नई पैमाईश के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1151 व 1152 का रकबा 0.26 हैक्टेयर है। साविक खसरा नम्बर 893/1 व 892/2 का कुल रकबा 2वीघा 13 विस्वा होता है। जिसका नई पैमाईश से रकबा 26.4 ऐयर होता है। वादीगण के दोनों हाल खसरा नम्बर 1151 व 1152 तथा साविक खसरा नम्बर 893/1 व 892/2 का कुल रकबा नई पैमाईश से बरावर है। वादीगण वर्तमान में हाल खसरा नम्बर 1152 में खातेदार व खसरा नम्बर 1151में गैर खातेदार दर्ज है। प्रदर्श–4 के अनुसार साविक खसरा नम्बर 893/2 व 892/1 वादीगण के पूर्वज भूले पुत्र मूली के नाम दर्ज है। वादीगण को नामा0 संख्या 483 के द्वारा नियमन से 01.12.72 को खातेदार दर्ज किया गया है। पैरोकार सरकार का तर्क है कि वर्तमान खसरा नम्बर 1151 रकबा 0.17 जोकि साविक खसरा नम्बर 893/1 रकबा 4 विस्वा से बना है गैर खातेदारी से खातेदारी देने पर 0.14 हैक्टेयर रकबा वेशी जाता है। जबकि वादीगण का हाल खसरा नम्बर 1152 रकबा 0.09 हैक्टेयर जोकि साविक खसरा नम्बर 892/2 रकबा 1वीघा 9 विस्वा से बना है। नई

उपखण्ड अधिकारी
डीग (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

पैमाईश से साविक खसरा नम्बर रकबा 23 ऐयर बनता है। जबकि हाल खसरा नम्बर 0.09 ऐयर का जिसमें 0.14 ऐयर रकबा कम है। वादी का तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार कब्जा काश्त है। पैरोकार सरकार का तर्क अस्वीकार किया जाकर तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्याः–2, दादरसी?

वाद खर्च उभय पक्षकार अपना अपना स्वयं वहन करें।

तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में दावा उद्घोषणा वादीगण स्वीकार किया जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि :–

वादीगण का दावा उपलब्ध साक्ष्य से सावित होने पर **स्वीकार** किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 1151/0.17 वाके ग्राम बेढम तहसील डीग के मुताविक हिस्सा जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार की प्रबिष्टि कलमजन की जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगे।

तहसीलदार डीग राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही से पूर्व यह सुनिश्चित करलें कि वादीगण पर कोई नियमानुसार राजकीय शुल्क तो बकाया नहीं है,अगर राजकीय शुल्क बकाया हो तो सम्बन्धित वादीगण से नियमानुसार शुल्क/राशि जमा राजकोष कराई जाकर वर्णित आराजी का राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करावें। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)
सहायक कलक्टर,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 13.01.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
सहायक कलक्टर,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner